

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
—: आदेश :—

रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 01-06/31/स्था./2011:- राज्य शासन एतद द्वारा श्री कृष्ण श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता (सिविल) को माननीय उच्च न्यायालय में दायर साचिका क्रमांक 1975/2008 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय में जो भी निर्णय होगा वह संबंधित अधिकारी को मान्य होने की शर्त पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियंता के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 15,600—39,100/- ग्रेड वेतन रूपये 7600/- में पदोन्नत करते हुए, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग (बोधी प्रकोष्ठ) रायपुर में पदस्थ रखता है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

लृग्ना।।।

(आर.के.नारद)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग

रायपुर, दिनांक 11.02.2015

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-06/31/स्था./2011.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर।
  2. मान0 मंत्रीजी के विषेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
  3. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
  4. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर।
  5. सचिव छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर।
  6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
  7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर।
  8. जिला कोषालय अधिकारी रायपुर।
  9. श्री कृष्ण श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
  10. आदेश फॉल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवध्यक कार्यवाही हेतु अशेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग